

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 मोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(10)का/आर.एम.एस./डीएलबी/09/ 6411

दिनांक : 13-5-19

आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 के अन्तर्गत स्थाई लेखाधिकारी की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.19 की स्थिति को दर्शाते हुए विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 5324-37 दिनांक 02.04.19 को जारी कर 15 दिवस में आपत्तियां मांगी गई थी।

उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में निर्धारित समयवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अशाटीप स 4(1)कार्मिक/क-2/अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में लेखाधिकारी पद की स्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.19 की स्थिति को दर्शाते हुए निर्देशानुसार निम्नानुसार जारी की जाती है-

दिनांक 01.04.19 की स्थिति

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति दिनांक	स्थाईकरण दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री राकेश कुमार अरोडा	10.09.65	01.04.15	01.04.18	
2.	श्री रोहित कुमार पाराशर	05.07.69	01.04.17	01.04.18	
3.	श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा	30.09.64	01.04.17	01.04.18	

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(क)(10)का/आर.एम.एस./डीएलबी/09/6412-22

दिनांक : 13-5-19

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर/अजमेर/जयपुर।
04. महापौर/आयुक्त, नगर निगम/परिषद, बीकानेर/किशनगढ़ (अजमेर)/जयपुर।
05. श्री.....लेखाधिकारी, नगर निगम/परिषद.....।
06. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(सुनील शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक